तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज | नं० व तारीख ... इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर

अपील संख्या– 21/2016 अंतर्गत धारा–76 एल.आर.एक्ट
(GCMS No. 2016/00135)

अनवान:

1. गुलाब कोर पत्नी जसवंत सिंह पुत्री गुरदेव सिंह जाति मजबी सिख निवासी लालपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर वगैरह।

बनाम

1. छोटा सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह जाति मजबी सिख निवासी 2 केएसएम ढाणी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर वगैरह।

21.08.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषक अपीलान्ट को रेस्पोडेंट संख्या 4, 6, 7, 12, 13, 15 व 16 के निमित सम्मन प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 18.01.2017 से लगातार पाबन्द किया जाता रहा है, किन्तु अभिभाषक अपीलान्ट को बार–बार पाबन्द किये जाने के बावजूद आदिनांक सम्मन प्रस्तुत नही किये हैं। अपीलान्ट द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलांट को लगातार पाबन्द करने के बावजूद भी आदिनांक तक सम्मन प्रस्तुत नहीं किये है। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(2) के तहत अदम तकमील में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश आज दिनांक 21.08.2024 को सुनाया गया।

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर सत्यमेव जयते